न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2019 (उदयपुर डिक्री)

मांगीलाल पिता गेंदा जी मेघवाल, निवासी वासनीमाफी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

जगदीश पिता काशीराम जी मून्दडा, निवासी नया बाजार, सनवाड़ रोड़, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) मावली
दिनांक 30.01.2019, प्र.सं. 252/17

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———:::———

निर्णय **दिनांक 13–11–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वासनीमाफी की आराजी नंबर 946 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज होकर वादी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला रहा है। प्रतिवादी का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी दखलन्दाजी करते हैं। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा तथ्यों को छुपाकर वाद

प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में विवादित भूमि आबादी भूमि है, जिसका पट्टा वादी के पिता गेंदा द्वारा वर्ष 1996 में प्राप्त किया गया तथा उनके द्वारा समय–समय पर भूमियों का विक्रय किया जा चुका है। उक्त भूमि आबादी भूमि होने से राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में आज भी कृषि भूमि दर्ज है, जिससे श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का ही है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाकर वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–01–2019 से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–03–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाडा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट में अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन के आधार पर वाद खारिज करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट के जिन दस्तावेज व प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद खारिज किया है, उनका उल्लेख अपीलान्ट ने कहीं भी अपने वाद में नहीं किया है। अपीलान्ट/वादी द्वारा केवल स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है तथा विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी/अपीलान्ट के नाम दर्ज होकर उसका कब्जा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार उचित

होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की तथा अपने कथन के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 की फोटो प्रति प्रस्तुत की, जिसमें विवादित भूमि आबादी में दर्ज होने की स्वीकृति हुई है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पट्टा नंबर 66 पत्रावली संख्यया 65/96 से विवादित आराजी में से 2600 वर्गगज भूमि का आवासीय पट्टा वादी के पिता गेंदा के नाम जारी हुआ है तथा दिनांक 31–10–1996 को रूपान्तरण आदेश उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा इस न्यायालय में जो जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 की प्रस्तुत की गयी है, उसमें विवादित भूमि की किस्म आबादी में दर्ज किये जाने की स्वीकृति हुई है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/ रेस्पोन्डेन्ट का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13–11–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

मांगीलाल पिता गेंदा जी मेघवाल,
निवासी वासनीमाफी, तह. मावली,
जिला उदयपुर

बनाम

जगदीश पिता काशीराम जी मून्दडा,
निवासी नया बाजार, सनवाड़ रोड़,
फतहनगर, तह. मावली, जि. उदयपुर

अपील नं....**6 / 2019**...व नाराजगी डिगरी अदालत ...**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**01**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**13**....माह.....**11**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री ओंकारलाल डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री अजयसिंह हाडा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**13**.....माह.....**11**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.11.25 14:24:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: